



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

SDV 240900

\*118111\*

1870516 fee A 415544

/विक्रयपत्र बाबत कृषि भूमि स्थित ग्राम मेमवी तहसील महु जिला इन्दौर/

ग्राम पंचायत क्षेत्र-मेमवी

ब्लाक-महु

रे.स.नं.-२

पटवारी हज्जा नं.-२६

अणु वु.क्र.-चुम-७३६६७६

कीमत व बाजार मूल्य रुपये २३,१६,२५०/- (अक्षरी रुपये तेईस लाख सौलह हजार दो सौ पचास रुपये मात्र)

2316250

Union

मुद्रांक शुल्क रुपये

१८५३००=००

पंथा. मुद्रांक शुल्क रुपये

२३१६३=००

उपकर रुपये

९२६७=००

सहमति शुल्क रुपये

१०=००

कुल योग

२१७७४०=००



Union

श्री मिथीलाल पिता श्री भागीरथजी कुमावत  
निवासी ग्राम मेमवी तहसील महु जिला इन्दौर म.प्र.सकें ग्राम मुखत्वार  
श्री हरिमोम पिता स्व.श्री रामचन्द्रजी पाटीदार  
निवासी पटेल बालोनी ग्राम राउ जिला इन्दौर म.प्र.

-----बिच्छीदार (विद्येता)

--- हवं ---

विनित कन्सल्टेशन प्रा.लि.सकें अधिकृत हस्ताक्षरी  
श्री सुभाष पाटीदार पिता श्री रागलालजी पाटीदार  
निवासी मेम रोड ग्राम मबली पलासिया तहसील महु जिला इन्दौर म.प्र.

-----अवगतिकता

बिच्छीदार

Union

Union

Shiv Mahima Town

Asst. Secy





01 3345

संज्ञित दस्तावेज संकेत

|                                                                                                                                                |                                       |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| दस्तावेज की नफसीलबारी व कीमत या दस्तावेज की तारीख या किस्म जो मुद्रबन्ध लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस हाजिर हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इमारत | रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तावेज |   |   |
| 1                                                                                                                                              | 2                                     | 3 | 4 |
| <p>संज्ञित-३६ दि-२३/६२५०१</p> <p>दि-२०/६</p> <p>तारीख ११.५.२००७</p> <p>१६५१/१६५१</p> <p>१६५१/१६५१</p> <p>१६५१/१६५१</p>                         |                                       |   |   |

FIFTY RUPEES

18.50

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH :2:

D 519230

शिव गहिमा डाउनशोप प्रा. लि., ३०१-३०२, तृतीय मंजिल  
 पिन्डसर प्लाजा संसारचन्द्र रोड जयपुर तर्फे अधिकृत हस्ताक्षरी  
 श्री राजेश चौधे पिता श्री जे. एन. चौधे, पता ३०१-३०२, तृतीय मंजिल  
 पिन्डसर प्लाजा संसारचन्द्र रोड जयपुर  
 (PAN No.-AAIC87173D)

-----अरीदवार (केता)

उपरोक्त बिक्रीदार पक्ष यह विक्रयपत्र बाबत धूमि भूमि स्थित ग्राम मेंमदी सहसील महु जिला इंदौर का उपरोक्त अरीदवार तृतीय पक्ष के हित में निष्पादित इस प्रकार कर देते हैं कि :-

विक्रेता की मालकी व कब्जे आधिपत्य की भूमि सर्वे सं. १२५/१, १२६/१/२ रकबा १-७२० हेक्टर (४-२५ एकड़) लगान ५-१४ ग्राम मेंमदी सहसील महु जिला इंदौर का यह विक्रय है। बिक्रीदार पक्ष के मलाया इस भूमि सम्पत्ति में अन्य किसी का कोई हक, हिस्सा या शरकत आदि नहीं है। इस भूमि सम्पत्ति के मालकी आदि किसी संबंध में कोई बाबा जगडा प्रकरण किसी भी प्राधिकारी के समक्ष अथवा किसी भी ज्यूडिशियल म्यागानय में लंबित या विचाराधीन नहीं है, अथवा संबन्धित नहीं है। सवर बिक्रयांतर्गत भूमि सम्पत्ति रेवेन्यू रिकार्ड में विक्रेतापक्ष के नाम पर दर्ज है। सवर भूमि के सम्बंध में बिक्रीदार ने एक आम मुखत्यार नामा हरिओम पाटीदार के हित में निष्पादित किया हुआ है। वह मुखत्यार नामा उप पंजीयक कार्यालय महु में पु. क्र. ४-अ/१४२ देकर दि: ६/९/०७ को पंजायित किया हुआ है। जिसमें निपुक्त मुखत्यार को सवर सम्पत्ति को विक्रय करने, कब्जा देने व सवर सम्पत्ति के विक्रय पत्र का निष्पादन, सम्पादन, पंजीयन आदि करावने के समस्त अधिकार प्रदान किये हुए है।

सवर भूमि पर विक्रेतापक्ष स्वयं के साधनों से धूमि कार्य करते आये हैं व सतत् अबाधित रूप से सवर बिक्रयांतर्गत भूमि पर कब्जे आधिपत्य में रहे हैं। कब्जे आदि किसी भी संबंध में कोई अधिकार दोष या अधिकारों में न्यूनता, दखल नहीं है। सवर भूमि में कोई देव स्थान या पीर स्थान भी नहीं है। इस विक्रय विलेख के विपरीत कोई सौदा करार या विलेख पहले से अन्य किसी के हित में किया हुआ भी नहीं है।

फिलहाल यह बिक्रयांतर्गत भूमि हर प्रकार के गिरवी, बिक्री, दान, जमानत, ऋण, आड, मेन्टेनेंस, बिक्री, आसेध, धर्मादा, देव स्थान के चार्ज, बैंकों, वितीय संस्थाओं, सोसायटियों के ऋण, भार, चार्ज आदि से शुद्ध व मुक्त, पवित्र स्थिति में है यदि भविष्य में किसी बैंक, वितीय संस्था आदि का कोई भार, ऋण चार्ज आदि पाया गया तो उसकी समस्त जवाबदारी बिक्रीदार पक्ष की रहेगी। इस प्रकार बिक्रीदार पक्ष को यह बिक्रयांतर्गत भूमि उपरोक्त अरीदवार पक्ष को विक्रय हस्तांतरण करने का पूर्ण व स्वतंत्र अधिकार है।

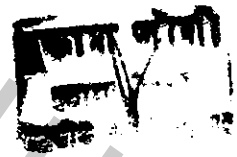
-----

अभि



सर्व  
प्रतिलिपि

१०



१९६२-६३  
२०१६३  
१९६७  
१९६८  
१९६९

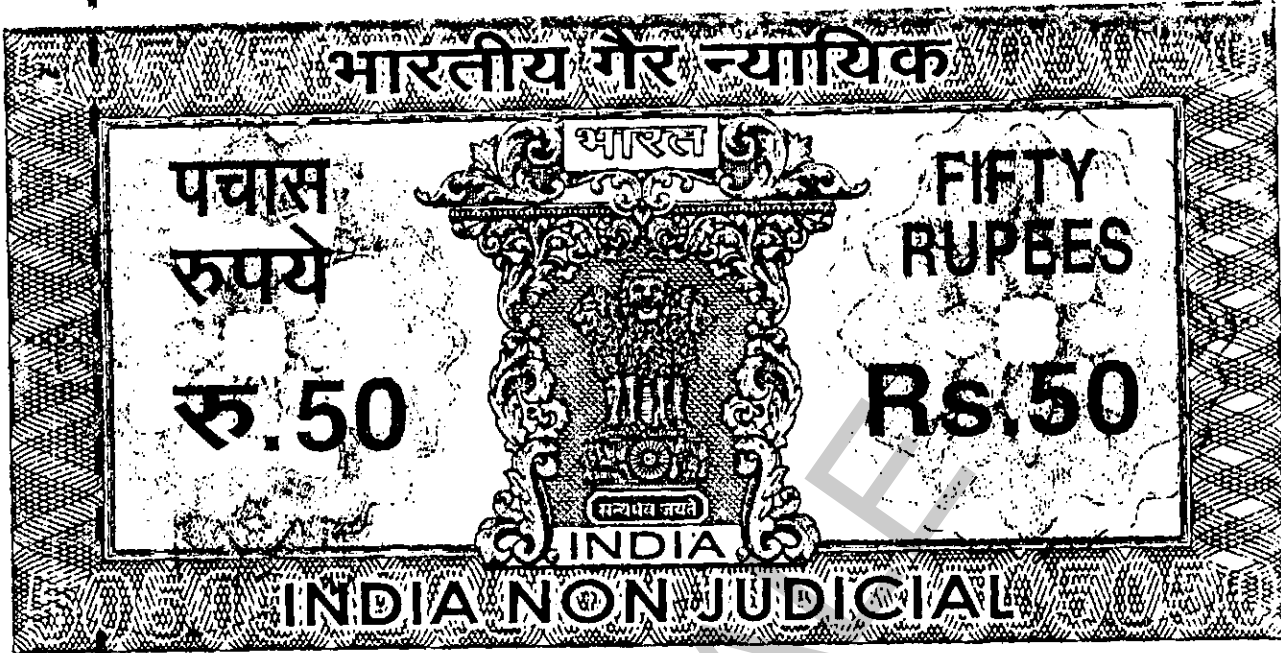
१९६९

१९६९/१९७० मधील प्रिन्सिपल ऑफ स्कूल गोविल

१९६९  
१९७०  
१९७१  
१९७२  
१९७३

१९७३





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

D 519231

सब रिक्रयान्तर्गत कृषि भूमि की विक्रेता से सहमति कर्ता ने क्रेता कम्पनी की ओर से मीसे लिखी कीमत पर बतौर कम्पनी के एजेंट की हैसियत से काबजा रहित विक्रय अनुबंधलेख सम्पादित करा लिया था। आज विनांक को यह विक्रय पत्र कम्पनी के हिस में सहमति कर्ता के निर्देश पर किया जा रहा है। इस विक्रय में सहमति कर्ता को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। उक्त अनुबंध सहमति कर्ता ने क्रेता कम्पनी की ओर से किया होकर निजी हैसियत से नहीं किया था। इसलिए बिक्रीदार एवं करीदवार पक्ष को अधिक विश्वास दिलाने के लिए अलग से कोई रुपया नहीं लेते हुए स्वेच्छा से इस विक्रय पत्र पर बतौर सहमति कर्ता नाते अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं।

विश्रामान्तर्गत कृषि भूमि की कीमत के चुकते रुपये २१,१६,२५०/- अक्षरी लेईस लाख सोलह हजार दो सौ पचास रुपये मात्र विक्रेता पक्ष को सहमति कर्ता ने, जो कि क्रेता कम्पनी के एजेंट की हैसियत से कार्य कर रहे हैं, निम्नानुसार अदा कर दिये हैं। इस प्रकार कीमत की चुकती धन राशि के रुपये क्रेता पक्ष से मिलना बिक्रीदार पक्ष स्वीकार करते हैं। अब इस विक्रय पत्र के पंजीयन के समय भीमान उप-पंजीयक महोदय के समक्ष कुछ भी एक पैसा तक लेना शेष नहीं रहा है एवं इस विलेख के पंजीयन के पश्चात भी कीमत पेटे व इस सम्पत्ति के पेटे कुछ भी लेना बाकी नहीं रहेगा। मूल्य राशि प्राप्ति के संबंध में विक्रेतापक्ष की पूर्ण संतुष्टि हो गई है। भूमि की किस्म के अनुसार उपरोक्त कीमत पर्याप्त है। उपरोक्त कीमत की सम्पूर्ण धनराशि सहमति कर्ता ने क्रेता से जारी विभिन्न भार.टी.जी.एस. द्वारा प्राप्त करने के पश्चात विक्रेता को दे दिये हैं। विक्रेता पक्ष ने सहमति कर्ता, क्रेतापक्ष से कीमत पेटे चुकते रुपये निम्नानुसार प्राप्त किए हैं :-

रुपये १,००,०००/- द्वारा चेक नं. १०८३१८ दि: १/६/०७ यू.डी.आई. बैंक लि. इन्दौर के जरिये प्राप्त,  
रुपये १,००,०००/- द्वारा चेक नं. १०८३३८ दि: २/७/०७ यू.डी.आई. बैंक लि. इन्दौर के जरिये प्राप्त,  
रुपये १८,१६,२५०/- द्वारा चेक नं. १०८३४९ दि: ०६/९/०७ यू.डी.आई. बैंक लि. इन्दौर के जरिये प्राप्त।

अविरत....४

SHIV A. J.

Chandray



पिछला - श्री मिश्रीलाल पिता काशीराम कुमार  
 तर्पु काग मुखयार श्री हरिकेश पिता  
 अशर रामन / पाटीदार वि. पटेल मुलाजी  
 वेणम राउ जिला इन्तरे

- वेगम 23 जिला 25/12/2019  
 - अलमसिद्ध विनित फल प्रकशन हात लि. 1/2  
 - कथि हत हता 3/2 9/2 1/2 1/2 1/2  
 - अलमसिद्ध पदीहार वि. गवली पलासिया

हस्ताक्षर- श्रीव. गोविंदा वा. अशीपु हाव-पिठ जिवापुर  
तर्फे मदिबुत हाव-पिठ श्री. राजेश गोविं  
पिता-जिठ २०० यावे-पता ३०१ ३०२, घुमरीग मंजिल,  
गिडसर-तलावा श्री. राजेश

पेसुय, बोट, जयपुर  
23/6/50, - हपये बेरिया लाख

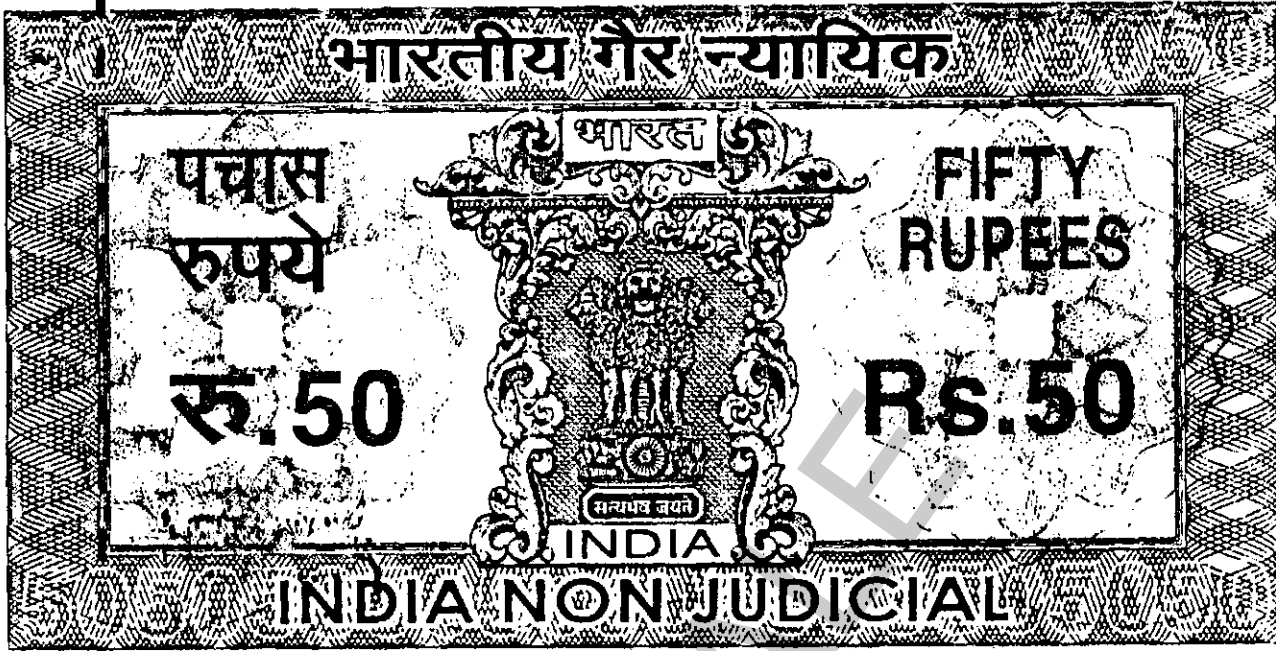
मोलाहयतापुत्रो नृपनाथः ॥ ५ ॥

① योगेश्वर जीता केरनाला सोनी  
वि. 13, जवाहर मार्ग, इंदौर

②. मुखेश पिता शंकरलाल पाटील  
वि० 120. गई आलू म० पी. इन्सॉर

15 OCT 2003





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

D 519232

मालिकाना कब्जा सहर घेची गई भूमि सम्पत्ति का मीके पर प्रत्यक्ष रूप से, सर्वविधित रूप से मूर्तिमंत रिक्त आधिपत्य (एक्जुक्ल पजेशन) खरीदार पक्ष को बिक्रीदार पक्ष ने सहमति कर्ता के साथ मीके पर जाकर सुपुर्द कर दिया है। भूमि का कब्जा मिलना खरीददार पक्ष को स्वीकार है। अब खरीददार अपने वंश परंपरा तक मोल ली हुई संपत्ति का उपयोग व उपभोग अपनी इच्छानुसार लेवे। इसे धारण करें, इसमें प्रवेश करें इसकी उत्पन्न आय लाभ आदि लेवें। चाहे जब, चाहे जिसे व चाहे जिस प्रकार से इसका हस्तांतरण आदि करें। यह सब अधिकार खरीददार पक्ष को इस विक्रय बिलेख के अंतर्गत प्राप्त हो गये है।

अतः इच्छियों के स्वस्थ व स्थिर बुद्धि की अवस्था में अपनी इच्छा व प्रसन्नता से बगैर किसी दबाव या रूबि दिलावे आदि के नीचे लिखी सर्वे मं. व क्षेत्रफल वाली ग्राम में मौजूद जिला इंचार्ज स्थित कृषि भूमि अमला इससे संबंध रखने वाले समस्त स्वस्थ, अधिकार, सुखाधिकारों, हजमेट राईट्स, प्रिविलेजस के सहित, किसी वस्तु या स्वस्थ शेव रटो बिना सबके सहित, बिक्रीदार पक्ष ने विक्रय की गई व घेची गई भूमि सम्पत्ति पर खरीददार पक्ष को अपनी तरह पूर्ण रूप से मालिक, अधिपति, भूमि स्वामी बना दिया व अपना हर प्रकार का स्वात्वाधिकार घेची गई भूमि सम्पत्ति पर से उठा लिया है, समाप्त कर लिया है। वे सभी स्वात्वाधिकार इस विक्रय बिलेख के अंतर्गत उपरोक्त खरीददार पक्ष को प्राप्त हो गये है।

अब यदि बिक्रीदारपक्ष का कोई साज्जी या शारीक बर्तन आदि अथवा लोक कियी भी किसी का कोई बाबा सहर घेची गई भूमि सम्पत्ति के प्रति करे या इस प्रकार के किसी बाबा करने से या किसी भार या ऋण के कारण कुछ रूपया खरीददार को अवा करना पड़े तो बिक्रीदार पक्ष उसके उत्तर वाला है।

सदर सम्पत्ति के संबंध में विक्रेतापक्ष ने कोई मुखत्यार नामा आम या खास किसी भी व्यक्ति या संस्था के नाम पर किया हुआ नहीं है। यदि ऐसा कोई मुखत्यार नामा किसी अन्य के नाम पर पाया जाता है तो वह प्रभाव शुन्य मान्य होगा। इस विक्रय के पश्चात विक्रेता पक्ष द्वारा पूर्व में किये गए समस्त अनुबंध लेख स्वतः ही निरस्त, प्रभाव शुन्य हो जावेगी।

Shiv Mahnaz Township Panchayat, अतिरक्त....५

*Chauhan*  
Authorised



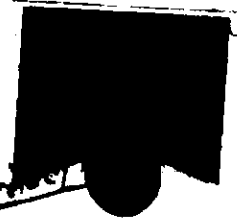
1000-1  
A/11/1/3

50

Haroon



पारि ३२९०५१०



विभाग / कार्य / कार्य  
1.5 OCT 2007

विभाग जो  
विभाग के  
विभाग के

विभाग के

विभाग के

विभाग के



सहस्रिक

विभाग / कार्य / कार्य  
5 OCT 2007



विभाग के

(Pharmacy)



विभाग / कार्य / कार्य  
विभाग के

विभाग के

Mahima Pharmacy

विभाग के

विभाग के

विभाग के





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

: ५ :

D 519233

बिक्रीदार पक्ष के किसी साजी या शरीक वारिसान के दावा करने से या अधिकार बीच के कारण सदा बेची गई भूमि या इसका कोई भाग खरीददार के कब्जे और अधिकार से निकल जाये या इस प्रकार के किसी दावा करने से या किसी भार या ऋण के कारण कुछ रूपया खरीददार पक्ष को अदा करना पड़े तो उन्हें अधिकार होगा कि वे विक्रय का शुद्धता रूपया, अवसर होने पर अनुपातिक द्रव्य, लगा हुआ रूपया, व्यय व हानि जो उठानी पड़े वह सब बेची गई सम्पत्ति से, विक्रेतापक्ष से स्वतः से व उनके वारिसान आदि से व उनकी मौजूदा व भविष्य में होने वाली अंगम व स्थावर सम्पत्तियों से जिस प्रकार भी हो सके बसूल कर लें। विक्रेता पक्ष को कोई आपत्ति, एतराज नहीं होगा।

बेची गई भूमि सम्पत्ति का विवरण निम्नांकित है :-

| सर्वे नं. | रकबा हेक्टर में | सगाम |
|-----------|-----------------|------|
| ११५/१     | १-२१५           | ४=१४ |
| ११६/१/४   | ३-४४५           | १३०० |
| योग २     | १-४६०           | ५=१४ |

(सर्वे नं.-सोम धो) (रकबा)-एक वसुधामय सप्त ही धील हेक्टर)  
(सगाम-पांच रुपये अक्षर पैसे मात्र)

उपरोक्त बेची गई भूमि सम्पत्ति में से किसी भी तहसील मजिस्ट्रेट ऑफिस में स्थित है। बिक्रय की गई भूमि में कोई मकान, कुआ या वृक्ष आदि नहीं है। बिक्रय की भूमि असिंचित है।

अविज्ञ.....६

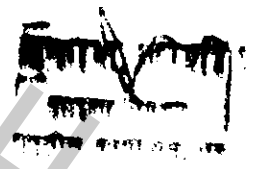
Shiv Arora

*[Signature]*



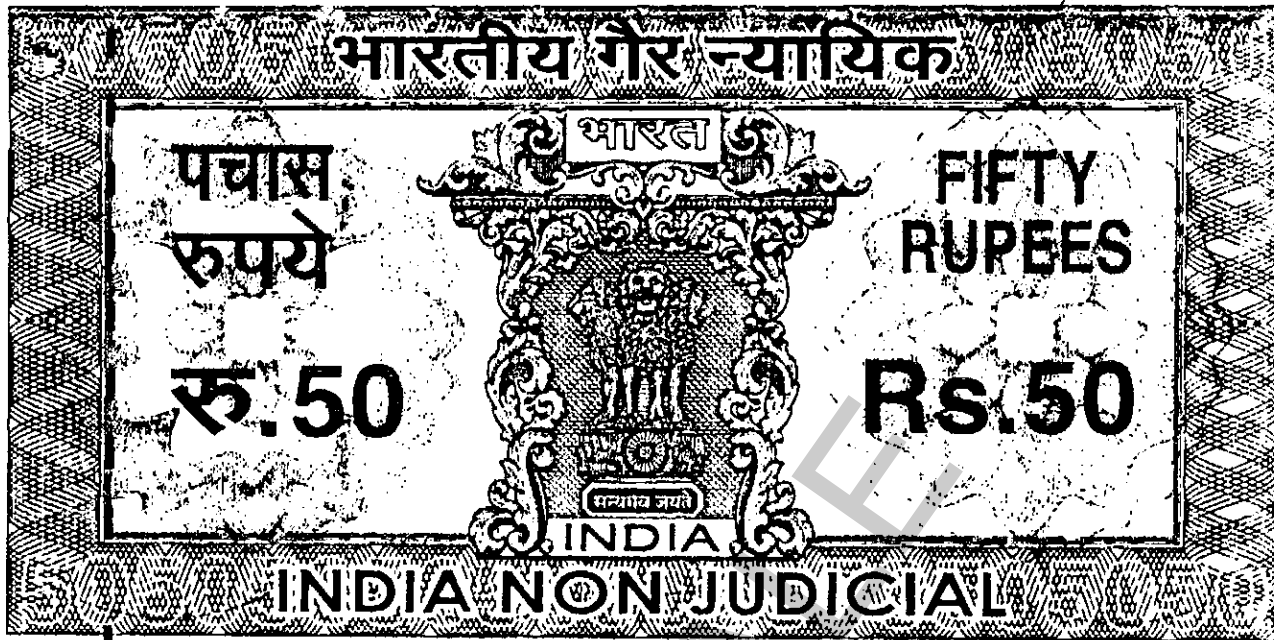
10000  
4/11/80

2



NOT FOR SALE





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

D 519234

यह भूमि शासकीय पट्टे, भू-दान की नहीं है। ऐनीमीकट्टी के सिटीजन की नहीं है। भूमि का लेण्ड यूज कृषि उपयोग का है, परिवर्तित भूमि नहीं है।

नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम १९७३ की बाधा नहीं है। स्थानीय क्षेत्र, निवेश व विशेष क्षेत्र, स्कीम व प्लान एरिया की नहीं है। किसी अधिग्रहण में भी नहीं है। मिलिट्री द्वारा एक्वायर की हुई नहीं है। सन १९५८-५९ व पश्चात किसी भी कालावधि में बिक्रीत भूमि किसी आदिवासी या जन-जाति के सदस्य के नाम पर नहीं रही है।

इस विवरण को किसी पूर्वानुमति, पूर्व अनुज्ञा एवं अनापसंदि प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार यह विक्रय पैघ रूप से है। अब खरीददार पक्ष को अधिकार होगा कि वे उनके खर्च से उपरोक्त मोल की भूमि को अपने नाम पर नामांतरण करवा लेबें, बटे नम्बर करवा ले। इन कार्यवाहियों में विक्रेतापक्ष औपचारिक रूप से सहयोग हेतु सदा तत्पर, तैयार व बाध्य रहेंगे।

इस विवरण में प्रयुक्त किसी भी शब्द वाक्य या प्रसिद्धि की अविध्य में और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये, अधिक विस्तार या व्याख्या या स्पष्टिकरण की आवश्यकता होने पर खरीददार को या जिसे भी आवश्यकता हो खरीददार के व्यय पर अन्य आवश्यक दस्तावेज, संशोधनपत्र, सहमतिपत्र, एडमिशन ग्रीड, शपथपत्र, प्रार्थनापत्र आदि का निष्पादन, सम्पादन, पंजीयन, अटेस्टेशन, अपन्टीवेनाम, सत्यापन आदि कराने को सदा तत्पर तैयार व बाध्य रहेंगे।

अविरत...७

Shiv Mah. na Township Puc. Ltd

*[Signature]*  
Authorized Signatory





सम्बोधन बिक्रीदारपक्ष (बिक्रेता) एवं खरीददारपक्ष (क्रेता) में एतद् द्वारा उनके वारिस, उत्तराधिकारी, दायाधिकारी, स्वत्वगृहिता, हितग्राही, उत्तरजीवी, समनुवेधित, असाईनी, भामिनी, स्थानापन्न स्वत्वार्षण प्राप्त कर्तागण, प्रबन्धक, व्यवस्था कर्तागण, कामूनी एवं वैद्य प्रतिनिधि भादि का सम्बन्ध है। यह विक्रयपत्र व इसकी समस्त शर्तें उन पर भी समान रूप से बन्धन कारक रहेगी व इनके अधिकार व लाभ भी समान रूप से प्राप्त रहेगी। इस विक्रयपत्र का सम्पूर्ण स्वर्ण क्रेतापक्ष (खरीददार) ने बहन किया है।

अतः यह विक्रयपत्र आज महु में लिखा गया है। उभयपक्षों द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार लिखवाया है, मजमून पक्षकर, पठवाकर, सुनकर, समझकर बिक्रदार ने स्वस्थ व स्थिर बुद्धि की अवस्था में गवाहों के समक्ष अगैर किसी दबाव के अपनी सहोयें की है, ताकि प्रमाण रहे। बन्स जकरत काम आये। गवाहों ने निष्पादन के समय इस लेख पर निष्पादक के समक्ष निष्पादन की गवाह की है। विलेख में कोई कांटे छोट नहीं है।

दिनांक: ०६ मई - २००७ महु

गवाह: १: ~~.....~~

~~.....~~

गवाह: २: ~~.....~~

~~.....~~

ये दे इस प्राकृतिक एवं मेरे भाग्यजित में दक्षिण

पं. श्रीमान मोहनलाल शर्मा, एडवोकेट,

१५२६, पत्नी बाजार महु - फोन नम्बर - २७२७०२

२८/१, मोती लबेजा (रजिस्टार आफिस के पास) इन्दौर फोन नं. २४९७२९८

मही-बिक्रीदारपक्ष  
(बिक्रेता)

~~.....~~

मही-सहमति कर्ता

~~.....~~

मही-खरीददारपक्ष  
(क्रेता)

~~.....~~



18/10/07

SEP

प्राचीन रूप. कोशांक. नं.  
दिनांक 4 OCT 2007  
[Signature]

दीप ~~किस~~ हस्ताक्षरों के सम्मिलन पर  
— फोन नं. 932696 हाथ से लिखा  
— बताया है जो कि पक्षकार के हस्ताक्षर  
— द्वारा प्रमाणित है।

प्रकाश जोशी  
स्थायी निवासी  
[Address]

31 DEC 2007

कमल डी. नाथ  
2008/10/07  
18/10/07 1681

18/10/07

18/10/07

18/10/07

